संख्या 56/2022/3231/छिहत्तर-1-2022-25सम/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ:दिनॉक 26 सितम्बर, 2022

विषय-जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-16/2021/948/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 19 मार्च, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2021 में एतदद्वारा निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

शासनादेश संख्या-16/2021/948/ छिहत्तर-1-2021-25सम/ 2019, दिनांक 19 मार्च, 2021 के प्रस्तर 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, प्रस्तर-15 (3), 15 (4), 15 (5), 15 (6), 15 (9), 15 (10), 15 (11), 15 (12) की व्यवस्था	शासनादेश संख्या-16/2021/948/ छिहत्तर-1-2021-25सम/ 2019, दिनांक 19 मार्च, 2021 में एतदद्वारा संशोधित एवं प्रस्तर 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, प्रस्तर-15 (3), 15 (4), 15 (5), 15 (6), 15 (9), 15 (10), 15 (11), 15 (12) के स्थान पर प्रतिस्थापित व्यवस्था
1	2
3- शासनादेश संख्या-190/छिहत्तर-1-2020-25सम/ 2019 दिनांक 24.01.2020 द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को नोडल विभाग के कार्यो के निर्वहन हेतु अधिकृत करते हुए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।कार्यालय ज्ञाप संख्या 794/छिहत्तर-1-2021-09सम/2005टी0सी0-5 दिनांक 04.03.2021 द्वारा लघु सिंचाई विभाग को नोडल नामित किए जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2100/छिहत्तर-1-2020-09 सम/2005 टी0सी0-5 दिनांक 04.11.2020 को निरस्त किये जाने के कारण शासनादेश संख्या-190/ छिहत्तर-1-2020-25सम/2019 दिनांक	जल जीवन मिशन की गाइड लाइन में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक विभाग/ नोडल विभाग होगा एवं जल जीवन मिशन के कार्यो के लिये उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) कार्यदायी संस्था होगी।

24.01.2020 प्रभावी हो गया है, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।	
5- वर्तमान में जल निगम द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूर्णता हेतु कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है और जनपद के अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम इसके नोडल अधिकारी हैं। यह विवरण उत्तर प्रदेश जल निगम की वेबसाइट http:// upjn.in पर उपलब्ध है, तथा http://jjmup.org पर भी उपलब्ध है।	वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूर्णता हेतु कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जा रहा है और जनपद के अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) इसके नोडल अधिकारी हैं। यह विवरण Jalshakti.up.gov.in पर उपलब्ध है।
6- इसी प्रकार से पूर्व निर्मित परियोजनाएं, जो पूरी तरह से Functional नहीं थी, उनमें घर तक नल से जल उपलब्ध कराने के लिए परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी है। यह कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है और अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम इसके नोडल अधिकारी हैं और इन परियोजनाओं का विवरण उत्तर प्रदेश जल निगम की वेबसाइट http:// upjn.in पर उपलब्ध है तथा http:// jjmup.org पर भी उपलब्ध है।	इसी प्रकार से पूर्व निर्मित परियोजनाएं, जो पूरी तरह से Functional नहीं थी, उनमें घर तक नल से जल उपलब्ध कराने के लिए परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी है। यह कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जा रहा है और अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) इसके नोडल अधिकारी हैं और इन परियोजनाओं का विवरण Jalshakti.up.gov.in पर भी उपलब्ध है।
9- विन्ध्य/बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 9 जनपदों के अतिरिक्त प्रदेश के शेष 66 जनपदों हेतु ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा आदि की औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात मण्डलवार/जनपदवार कार्यदायी संस्थाओं का इम्पैनलमेन्ट कर लिया गया है। इन संस्थाओं की जनपदवार सूची भी jimup.org पर उपलब्ध है। यह संस्थायें भूगर्भ जल आधारित, यथासम्भव सोलर पम्प आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं दस वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य करेंगी।	विन्ध्य/बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 9 जनपदों के अतिरिक्त प्रदेश के शेष 66 जनपदों हेतु ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा आदि की औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात मण्डलवार/जनपदवार कान्ट्रैक्टर्स का इम्पैनलमेन्ट कर लिया गया है। इन कान्ट्रैक्टर्स की जनपदवार सूची भी jimup.org पर उपलब्ध है। ये कान्ट्रैक्टर्स भूगर्भ जल आधारित, यथासम्भव सोलर पम्प आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं दस वर्ष तक अनुरक्षण का कार्य करेंगी।
10- जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार इम्पैनल्ड कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वरीयता के अनुसार कार्य सम्पादित किया जाना है, जिनमे सर्वप्रथम ऑगमेन्टेशन, रेट्रोफिटिंग, गुणता प्रभावित क्षेत्रों, JE/AES से प्रभावित 20 जनपदों, सासद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) से आच्छादित ग्रामों तथा आकाक्षात्मक जनपद (बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 2 आच्छादित जनपदों, जिन्हें पूर्व मे कवर किया जा चुका है, को छोड़ते हुए), 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के आबादी वाले ग्रामों को प्राथमिकता पर लिया जाना है तथा	जल जीवन मिशन की गाइड लाइन के अनुसार इम्पैनल्ड कान्ट्रैक्टर्स द्वारा वरीयता के अनुसार कार्य सम्पादित किया जाना है, जिनमें सर्वप्रथम ऑगमेन्टेशन, रेट्रोफिटिंग, गुणता प्रभावित क्षेत्रों, JE/AES से प्रभावित 20 जनपदों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) से आच्छादित ग्रामों तथा आकांक्षात्मक जनपद (बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के 2 आच्छादित जनपदों, जिन्हें पूर्व में कवर किया जा चुका है, को छोड़ते हुए), 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के आबादी वाले ग्रामों को प्राथमिकता पर लिया जाना है तथा अन्य ग्रामों का

अन्य ग्रामों का भी चयन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा किया जा सकता है, जोकि SWSM द्वारा उस जिले हेतु निर्धारित अधिकतम संख्या के यथासम्भव अन्तर्गत ही चयनित किये जाए।	भी चयन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा किया जा सकता है, जोकि SWSM द्वारा उस जिले हेतु निर्धारित अधिकतम संख्या के यथासम्भव अन्तर्गत ही चयनित किये जाए।
11- कतिपय जिलों यथा आगरा, मथुरा, हाथरस, उन्नाव, बलिया इत्यादि के कुछ क्षेत्रों में पीने योग्य भूगर्भ जल की समुचित व्यवस्था न होने के दृष्टिगत, ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन कर उन क्षेत्रों हेतु सतही जल आधारित परियोजनाओं का निर्माण करने की कार्यवाही पृथक से गतिमान है और उनके सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश शीघ्र जारी किये जा रहे हैं। सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर ग्रामों की सूची प्राप्त करें।	कतिपय जिलों यथा आगरा, मथुरा, हाथरस, उन्नाव, बलिया इत्यादि के कुछ क्षेत्रों में पीने योग्य भूगर्भ जल की समुचित व्यवस्था न होने के दृष्टिगत, ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन कर उन क्षेत्रों हेतु सतही जल आधारित परियोजनाओं का निर्माण करने की कार्यवाही पृथक से गतिमान है और उनके सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश शीघ्र जारी किये जा रहे हैं।
12- वांछित ग्रामों की सूची जिलाधिकारियों द्वारा वेन्डर को 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दी जाए। इस हेतु वेन्डर को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जायेगी और यदि कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) आदि वांछित है, तो इस हेतु सम्बन्धित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। सूची प्राप्त करने के उपरान्त वेन्डर द्वारा शीघ्रातिशीघ्र डी०पी०आर० बनाकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को निर्धारित प्रारूप पर सूची भेजी जायेगी, जिस पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समुचित परीक्षण करने के उपरान्त अनुमोदन दिया जायेगा।	वांछित ग्रामों की सूची जिलाधिकारियों द्वारा कान्ट्रैक्टर्स को 01 सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा दी जाए। इस हेतु कान्ट्रैक्टर्स को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जायेगी और यदि कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) आदि वांछित है, तो इस हेतु सम्बन्धित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। सूची प्राप्त करने के उपरान्त कान्ट्रैक्टर्स द्वारा शीघ्रातिशीघ्र डी०पी०आर० बनाकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को निर्धारित प्रारूप पर सूची भेजी जायेगी, जिस पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समुचित परीक्षण करने के उपरान्त अनुमोदन दिया जायेगा।
13- तदोपरान्त जिले में सभी ऐसी परियोजनाओं का Agreement किया जायेगा, जिसका प्रारूप राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) के साथ ग्राम पंचायत और वेन्डर के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। Agreement के तहत वेन्डर द्वारा शीघ्रता से मानक के अनुरूप कार्य कराया जायेगा। वेन्डर को सभी भुगतान टी०पी०आई० के परीक्षण के उपरान्त ही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा Electronically किये जायेंगे, किन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो।	तदोपरान्त जिले में सभी ऐसी परियोजनाओं का Agreement किया जायेगा, जिसका प्रारूप राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित किया गया है, जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) के साथ ग्राम पंचायत और कान्ट्रैक्टर्स के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे। Agreement के तहत कान्ट्रैक्टर्स द्वारा शीघ्रता से मानक के अनुरूप कार्य कराया जायेगा। कान्ट्रैक्टर्स को सभी भुगतान टी०पी०आई० के परीक्षण के उपरान्त ही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा Electronically किये जायेंगे, किन्तु यह सुनिश्चित किया जाए कि भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न हो।
15 (3) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सूचीबद्ध

सूचीबद्ध कार्यदायी संस्थाओं (vendors) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित संख्या के अनुरूप ग्रामों की सूची / निशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना।	कान्ट्रैक्टर्स को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित संख्या के अनुरूप ग्रामों की सूची / निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना।
15 (4) सूचीबद्ध कार्यदायी संस्थाओं (vendors) से समयबद्ध रूप से डी0पी0आर0 तैयार कराते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण किया जाना।	सूचीबद्ध कान्ट्रैक्टर्स से समयबद्ध रूप से डी0पी0आर0 तैयार कराते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण किया जाना।
15 (5) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अनुमोदन के उपरान्त ग्राम पंचायतों, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंन्सी और सूचीबद्ध कार्यदायी संस्थाओं (vendors) के मध्य निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निस्तारित कराते हुए तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना ।	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अनुमोदन के उपरान्त ग्राम पंचायतों, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंन्सी और सूचीबद्ध कान्ट्रैक्टर्स के मध्य निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निस्तारित कराते हुए तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना ।
15 (6) सूचीबद्ध कार्यदायी संस्थाओं(vendors) को वांछित अनापतियॉ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।	सूचीबद्ध कान्ट्रैक्टर्स को वांछित अनापतियॉ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।
15 (9) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद /मण्डल हेतु चयनित थर्ड पार्टी इन्स्पैक्शन (टी०पी०आई०) एजेंसी द्वारा योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण किया जाएगा एवं इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही (Vendors) का भुगतान किया जाएगा ।	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद /मण्डल हेतु चयनित थर्ड पार्टी इन्स्पैक्शन (टी०पी०आई०) एजेंसी द्वारा योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु निरीक्षण किया जाएगा एवं इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही (कान्ट्रैक्टर्स) का भुगतान किया जाएगा।
15 (10) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने से लेकर भुगतान तक की समस्त कार्यवाही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तैयार की जा रही ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से की जायेगी।	कान्ट्रैक्टर्स द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने से लेकर भुगतान तक की समस्त कार्यवाही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तैयार की जा रही ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से की जायेगी।
15 (11) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्यों का मापन करते हुए, ससमय पर बिल आनलाइन प्रस्तुत किये जायेंगे और वांछित अभिलेख यथा माप (मेजरमेन्ट) इत्यादि भी साथ में अपलोड किये जायेंगे।	कान्ट्रैक्टर्स द्वारा कार्यों का मापन करते हुए, ससमय बिल आनलाइन प्रस्तुत किये जायेंगे और वांछित अभिलेख यथा माप (मेजरमेन्ट) इत्यादि भी साथ में अपलोड किये जायेंगे।
15 (12) संस्थाओं द्वारा बिल अपलोड करने के उपरान्त नामित प्रभारी अवर अभियन्ता, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा थर्ड पार्टी इंसपेक्शन (टी0पी0आई0) एजेन्सी द्वारा अधिकतम 48 घंटे तक संयुक्त निरीक्षण करते हुए, मापन एवं कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन किया जायेगा। मापन के सत्यापन में थर्ड पार्टी इंसपेक्शन (टी0पी0आई0) एजेन्सी की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा अन्य दो में से किसी एक के अनुपस्थित रहने की स्थिति मे भी सत्यापन मान्य होगा। मापन एवं कार्य की गुणवत्ता में किसी भी	कान्ट्रैक्टर्स द्वारा बिल अपलोड करने के उपरान्त नामित प्रभारी अवर अभियन्ता, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा थर्ड पार्टी इंसपेक्शन (टी0पी0आई0) एजेन्सी द्वारा अधिकतम 48 घंटे में संयुक्त निरीक्षण करते हुए, मापन एवं कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन किया जायेगा। मापन के सत्यापन में थर्ड पार्टी इंसपेक्शन (टी0पी0आई0) एजेन्सी की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा अन्य दों में से किसी एक के अनुपस्थित रहने की स्थिति में भी सत्यापन मान्य होगा। मापन एवं कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने

प्रकार की कमी पाये जाने की दशा में टी0पी0आई0 द्वारा वेंडर के स्थानीय प्रतिनिधि को अवगत कराते हुए तत्काल निराकरण कराया जायेगा। सत्यापित मापों की माप पुस्तिका में अंकन की कार्यवाही प्रभारी अवर अभियन्ता द्वारा की जायेगी।	की दशा में टी0पी0आई0 द्वारा कान्ट्रैक्टर्स के स्थानीय प्रतिनिधि को अवगत कराते हुए तत्काल निराकरण कराया जायेगा। सत्यापित मापों की माप पुस्तिका में अंकन की कार्यवाही प्रभारी अवर अभियन्ता द्वारा की जायेगी।

3- अतः शासनादेश संख्या-16/2021/948/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 19 मार्च, 2021 के प्रस्तर 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, प्रस्तर-15 (3), 15 (4), 15 (5), 15 (6), 15 (9), 15 (10), 15 (11),15 (12) में प्रतिस्थापित एवं इस शासनादेश के उपरोक्त प्रस्तर-2 के कालम-1 में उल्लिखित व्यवस्था को उपरोक्त कालम-2 के अनुसार संशोधित /प्रतिस्थापित समझा जाए। उक्त शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2021 में दी गयी शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्या-56/2022/3231 (1)/छिहत्तर-1-2022, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
(2) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव।